3.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट मैनपुरा में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) के अनुसार भूमि ख.न. 396, 397, 497 कित्ता 3 कुल रकबा 3.95 हैं के वादी एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार अपनी भूमि का विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम गल्लाकाना की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 396, 397, 497 कित्ता-3 कुल रकबा 3.9500 हैं में वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.5.18 को कैम्प कोर्ट मैनपुरा में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner